

तेल क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2024

प्रारम्भ के लिये:

राज्यसभा, हाइड्रोकार्बन, हीलियम, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड वनियामक बोर्ड

मैन्स के लिये:

तेल क्षेत्र (वनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम 2024, खनजि तेल नष्टिकरण में वनियमन, भारत की ऊर्जा नीतियाँ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तेल क्षेत्र (वनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2024 को [राज्यसभा](#) द्वारा पारित किया गया, जिसका उद्देश्य नज़ी नविश को आकर्षित करते हुए पेट्रोलियम एवं खनजि तेलों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।

- इस अधिनियम का उद्देश्य तेल उत्पादन के प्रशासन को खनन गतिविधियों से स्पष्ट रूप से अलग करके **मौजूदा तेल क्षेत्र अधिनियम 1948** में संशोधन करना है।

तेल क्षेत्र संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- **खनजि तेल की परिभाषा:** अधिनियम खनजि तेलों की परिभाषा को व्यापक बनाता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन (जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) के साथ-साथ कोल बेड मीथेन और शेल गैस/तेल को भी शामिल किया गया है।
 - इस परिभाषा में कोयला, [लग्नाइट](#) और [हीलियम](#) को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है, संभवतः इसका कारण खान और खनजि (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत उनका वनियमन है।
- **पेट्रोलियम लीज़:** अधिनियम “माइनिंग लीज़” शब्द के स्थान पर “पेट्रोलियम लीज़” शब्द का प्रयोग करता है, जो खनजि तेलों की खोज, उत्पादन और निपटान जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करेगा।
 - तेल क्षेत्र अधिनियम, 1948 के तहत दिये गए **मौजूदा माइनिंग लीज़/खनन पट्टे वैध रहेंगे** और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- **उल्लंघन के लिये दंड:** तेल क्षेत्र अधिनियम, 1948 के तहत उल्लंघन के परिणामस्वरूप छह माह तक का कारावास, **1,000 रुपये का जुर्माना** या दोनों हो सकते हैं।
- **नवीन अधिनियम तेल क्षेत्र अधिनियम के उल्लंघन हेतु आपराधिक दंड के स्थान पर वित्तीय दंड का प्रावधान करता है**, जिससे अधिकतम **जुर्माना राशि 25 लाख रुपये** हो जाती है, तथा नरितर उल्लंघन के लिये **10 लाख रुपये तक का अतिरिक्त दैनिक जुर्माना** भी लगाया जाता है।
- **नज़ी नविश को प्रोत्साहन:** अधिनियम में पेट्रोलियम उत्पादन में नज़ी नविश को आकर्षित करने के उपाय शामिल हैं, तथा यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा खनन पट्टे, पट्टेधारकों को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाए बिना वैध बने रहेंगे।
- **केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियाँ:** अधिनियम में केंद्र सरकार को विभिन्न पहलुओं पर नियम बनाने की शक्ति बरकरार रखी गई है, जिसमें पट्टे प्रदान करना और उनका वनियमन करना, नियम और शर्तें निर्धारित करना (जैसे पट्टे का क्षेत्र और अवधि), खनजि तेलों का संरक्षण और विकास, तथा रॉयल्टी के संग्रह के साथ-साथ तेल उत्पादन के तरीके शामिल हैं।
- इसके अलावा, अधिनियम केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर पेट्रोलियम पट्टों का समेकन, सुविधा साझाकरण, प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिये पट्टाधारकों की ज़िम्मेदारियाँ, तथा पेट्रोलियम पट्टा पुरस्कारों के लिये वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाएँ शामिल करता है।
- **दंड का निरणय:** केंद्र सरकार दंड का निरणय करने के लिये संयुक्त सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करेगी।
 - न्यायनिरणायक प्राधिकरण के निरणयों के **विरुद्ध अपील पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस बोर्ड वनियामक बोर्ड (PNGRB) अधिनियम, 2006** में निर्दिष्ट **अपीलीय न्यायाधिकरण** में की जाएगी।
 - PNGRB अधिनियम, 2006 के अनुसार, PNGRB के निरणयों के विरुद्ध अपील **वदियुत अपीलीय न्यायाधिकरण** के समक्ष की जानी है, जिसका गठन **वदियुत अधिनियम, 2003** के अंतर्गत किया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड नियामक बोर्ड

- PNGRB की स्थापना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत की गई थी।
- नोडल मंत्रालय: [पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय](#)
- इसका उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, पेट्रोलियम से संबंधित गतिविधियों को वनियमित करना और प्रतस्पर्द्धी बाजारों को बढ़ावा देना है।
- PNGRB सटीक गैस वितरण (CJD) नेटवर्क, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को अधिकृत, टैरिफ का निर्धारण तथा तकनीकी एवं सुरक्षा मानक स्थापित करता है।

तेल क्षेत्र संशोधन विधियक, 2024 के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- राज्य के अधिकारों पर प्रभाव: विधियक में खनन पट्टों से पेट्रोलियम पट्टों की ओर बदलाव से राज्य सूची की प्रवर्षि 50 के अंतर्गत आने वाले राज्य के कराधान अधिकारों का हनन हो सकता है।
 - [2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) के फैसले ने पुष्टि की कि राज्यों को भारतीय संविधान में [राज्य सूची की प्रवर्षि 50](#) के तहत खनन गतिविधियों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है।
 - आलोचकों का तर्क है कि [संघ सूची की प्रवर्षि 53](#), जो केंद्र सरकार को तेल क्षेत्रों और खनन तेलों पर अधिकार प्रदान करती है, केंद्रीय नियंत्रण को बढ़ा सकती है, जिससे संघवाद से संबंधित चर्चाएँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा अधिकार क्षेत्र एवं राजस्व पर संभावित विवाद देखने को मिल सकते हैं।
- पर्यावरण संबंधी चर्चाएँ: नजि खलाइयों की बढ़ती भागीदारी से पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपाय कमजोर हो सकते हैं।
 - ऐसी आशंका है कि नजि कंपनियाँ पर्यावरण संरक्षण की अपेक्षा मुनाफे को प्राथमिकता देंगी, जिससे उत्सर्जन और पारिस्थितिकी क्षति बढ़ सकती है।
- गैर-अनुपालन के लिये दंड: आपराधिक दंड के स्थान पर जुर्माने लगाने से जवाबदेही संबंधी चर्चाएँ उत्पन्न होंगी, जिससे संभावित रूप से नविवरण और सुरक्षा एवं पर्यावरण मानकों के अनुपालन में कमी आएगी।
- नजि नविश बनाम सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता: वपिकषी दलों का तर्क है कि संसाधन अन्वेषण के लिये तेल और प्राकृतिक गैस नगिम (ONGC) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नजि संस्थाओं की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
 - आलोचकों को डर है कि नजि नविश से सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व कमजोर हो सकता है और सामुदायिक कल्याण तथा स्थिरता की तुलना में लाभ को प्राथमिकता दी जा सकती है।

आगे की राह

- क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाएँ: क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों को रोकने के लिये केंद्रीय एवं राज्य प्राधिकरण के बीच स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करने के साथ संसाधन प्रशासन में सहकारी संघीय संरचना सुनिश्चित करना आवश्यक है।
 - पारदर्शी राजस्व साझाकरण: संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने और वित्तीय नियंत्रण पर तनाव कम करने के लिये केंद्र एवं राज्यों के बीच पारदर्शी तथा न्यायसंगत राजस्व-साझाकरण तंत्र विकसित करना चाहिये।
 - धारणीय प्रथाएँ: उन कंपनियों को प्रोत्साहन देना चाहिये जो धारणीय प्रथाओं को प्राथमिकता (जैसे कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में नविश करने के लिये कर छूट या कम रॉयल्टी लेना) देती हैं।
- पर्यावरण नियमों को मजबूत करना: विधियक के अंतर्गत मजबूत पर्यावरण सुरक्षा उपायों को लागू करने से तेल उत्पादन में नजि क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से संबंधित जोखिमों को कम किया जा सकता है। इसमें नई परियोजनाओं के लिये अनिवार्य पर्यावरण प्रभाव आकलन शामिल है।
- जन जागरूकता अभियान: घरेलू तेल उत्पादन के लाभों एवं ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने से विधियक के प्रति जन समर्थन को बढ़ावा मिला जा सकता है तथा इससे संबंधित नकारात्मक धारणाओं को भी दूर किया जा सकेगा।

दृष्टिभेन्स प्रश्न

प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं राज्य के अधिकारों पर तेल क्षेत्र (वनियमन और विकास) संशोधन विधियक, 2024 के नहितिर्त्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष प्रश्न

प्रश्न: कभी-कभी समाचारों में पाया जाने वाला शब्द 'वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट' नमिनलखिति में से कसि संदर्भित करता है: (2020)

- (a) कच्चा तेल
- (b) बहुमूल्य धातु
- (c) दुर्लभ मृदा तत्त्व
- (d) यूरेनियम

उत्तर: (a)

प्रश्न. जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीतिके अनुसार, जैव ईंधन के उत्पादन के लिये नमिनलखिति में से कसिका उपयोग कच्चे माल के रूप में कथिा जा सकता है? (2020)

1. कसावा
2. कषतगिरस्त गेहूँ के दाने
3. मूँगफली के बीज
4. चने की दाल
5. सड़े हुए आलू
6. मीठे चुकंदर

नीचे दथि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनथि:

- (a) केवल 1, 2, 5 और 6
- (b) केवल 1, 3, 4 और 6
- (c) केवल 2, 3, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/oilfields-amendment-bill-2024>

